

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

अजय कुमार मित्तल से पहले, एसीजे और तेजिंदर सिंह ठिंढसा, जे।

मेसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादीओं का 2017 का वैटएपी सं. 32

17 मई, 2018

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-धारा 2 (जेडजी) और 2 (जेडजी)-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-एस. एस. 2 (डी), 2 (जी) और 2 (एच)-उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957-एक कपड़ा इकाई, अपीलकर्ता ने हरियाणा बिक्री कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 17.03.2017 के आदेश को चुनौती दी-ग्रे कपड़े को निर्धारिती द्वारा संसाधित किया जाता है और तैयार उत्पाद वापस किया जाता है-उठाया गया चालान जिस पर मूल उत्पाद शुल्क (बी. ई. डी.) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए. ई. डी.) देय होता है-निर्धारिती ने 04 तिमाही रिटर्न दाखिल किया और दावा किया कि जब कानून के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त ए. ई. डी. देय होता है तो कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाएगा-निर्धारण प्राधिकरण ने फॉर्म वैट. 2 में नोटिस जारी किया-विक्रेता ने बिक्री और खरीद से संबंधित प्रविष्टियां प्रस्तुत कीं-मूल्यांकन प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि सभी रंग और रसायन कि बिक्री रसायनों का उपयोग हस्तांतरित निष्पादन है जो नौकरी के काम के लिए भौतिक रूप में उपयोग किया जाता है उक्त आदेश के विरुद्ध रुपये के काम की छूट की मांग पर कर लगाया जाना चाहिए - कर निर्धारण अधिकारी ने खारिज कर दिया और 5,34516/- रुपये की अपील न्यायाधिकरण ने भी खारिज कर दी, मैंने रसायन और विज्ञापन के पूरे मूल्य के त्रिथ के समक्ष अपील दायर की। इस बात को कायम रखते हुए कि क्या माल में निहित संपत्ति हस्तांतरित की गई थी, मेरे आदेशों को रद्द कर दिया गया और मामले को

मूल्यांकन अधिकारियों को भेज दिया गया, माल के मूल्य में क्या कर योग्य है, जो ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, न कि काम के निष्पादन में उपयोग किए गए या उपभोग किए गए माल के मूल्य पर। -इस प्रकार, रंगाई/जॉब वर्क के दौरान उपभोग किए गए रसायनों के पूरे मूल्य पर कर नहीं लगाया जाएगा।

माना जाता है कि विशेषज्ञों की रिपोर्टों के अवलोकन से पता चलता है कि रंगाई या मुद्रण की प्रक्रिया में, रंग और रसायन कपड़े से चिपके होते हैं। इस प्रक्रिया में कुल रंगों का लगभग 20 प्रतिशत उपयोग किया जाता है, जिसमें से 10 से 30 प्रतिशत रंग कपड़े का हिस्सा होते हैं। लगभग 2 से 6 प्रतिशत रंग तैयार कपड़े का हिस्सा हैं। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि तैयार माल के साथ जो अवशोषित हो जाता है और प्रकट होता है, वह रंगाई के मामले में उपयोग किए जाने वाले रसायनों और रंगों की अनुमानित औसत गुणवत्ता का लगभग 4.15% और मुद्रण के मामले में 8.9% है।

818

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

हरियाणा सरकार के उपक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गुजरने के बाद, कपड़े में अंत में केवल 17 प्रतिशत रंग होते हैं जिनका उपयोग रंगाई की प्रक्रिया के दौरान किया गया है और भौतिक रूप द्वारा या इसके रासायनिक गुणों द्वारा कोई अस्तित्व नहीं है। अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि रंगाई की प्रक्रिया में, रंग का कुछ हिस्सा कपड़े में अंतर्निहित होता है जो उन प्राचार्यों को दिया जाता है जिनके लिए काम किया जाता है जबकि कुछ हिस्से का उपयोग केवल उपभोग्य के रूप में किया जाता है।

(पैरा 13)

आगे कहा कि उपभोग्य वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान खो जाती हैं। भले ही उपभोग्य वस्तुएं वे वस्तुएं हों जो ठेकेदार को खो जाती हैं, लेकिन यह पुरस्कार विजेता के लिए लाभ नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे काम को निष्पादित करने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। रसायनों का उपयोग निर्धारिती द्वारा केवल उसके

द्वारा किए गए कार्य की सहायता के लिए किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में उन्हें बुझा दिया जाता है। उन्हें किसी भी रूप में पुरस्कार विजेता को माल के रूप में या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जाता है। काम कमोबेश एक श्रम अनुबंध है, जिसमें निर्धारित रासायनों का उपयोग उसी तरह करता है जैसे वह काम के प्रदर्शन में किसी अन्य वस्तु या ईंधन या बिजली की अपनी मशीनरी का उपयोग करता है।

(पैरा 14)

ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से, निर्धारित एक कपड़ा प्रोसेसर है और नौकरी के कार्य के निष्पादन में लगा हुआ है। धूसर कपड़े को प्रोसेसर द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे ब्लिचिंग, डाइंग, डी-साइजिंग और प्रिंटिंग के अधीन करके तैयार कपड़े में संसाधित किया जाता है। प्रसंस्करण/निर्माण के बाद तैयार कपड़े को कपड़े के मालिक को वापस भेज दिया जाता है। रंगाई और विरंजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या करते हुए, अपीलकर्ता के अनुसार, कपड़ा निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरता है:-

1. धोने की प्रक्रिया

धुलाई रासायनों की मदद से की जाती है, जैसे कि डिसाइज़र, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एचसीएल, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीलिक एसिड, सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड। धोने की पूरी प्रक्रिया में कपड़े के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। यह वैसा ही रहता है जैसा धोने से पहले था। धूसर कपड़े से केवल अशुद्धियाँ और धूल हटाई जाती है। कपड़े धोने की प्रक्रिया में किसी भी रासायनिक पास की संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। इस चरण के बाद कपड़े को आर. एफ. डी. (रेडी फॉर डाइंग) कहा जाता है। कि इस चरण तक खपत होने वाले सभी रासायनों को कपड़े से और अनिवार्य रूप से हटा दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार कपड़े पर परीक्षण किए जाते हैं क्योंकि एक भी रसायन (या उसके गुण) की उपस्थिति कपड़े के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर देगी। इसके अलावा, उपरोक्त रसायनों के गुण प्रकृति में इतने खतरनाक हैं कि इसे किसी भी परिस्थिति में कपड़े के साथ पारित नहीं किया जा सकता है।

2. सफेदी की प्रक्रिया

सफेदी प्रक्रिया जिसमें आर. एफ. डी. कपड़े को सफ़ेद करने वाले एजेंटों के संपर्क में लाया जाता है ताकि ग्रे कपड़े को सफ़ेद रंग का प्रभाव दिया जा सके। इसलिए, ब्लिचिंग प्रक्रिया की प्रक्रिया में, कपड़े पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि भूरे रंग के कपड़े का रंग सफेद हो जाता है। इसलिए सफ़ेद करने वाले एजेंटों को अंतर्निहित संपत्ति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।

3. रंगाई की प्रक्रिया

रंगाई की प्रक्रिया आर. एफ. डी. कपड़े को डाईस्टफ (रंग और रंगाई रसायनों का घोल) और रंगाई मशीन में सामान्य नमक के संपर्क में लाकर की जाती है और कपड़े पर आवश्यक रंग छाप प्राप्त की जाती है। इसलिए रंगाई की प्रक्रिया में, रंग और सामान्य नमक का परिवर्तनकारी प्रभाव होता है और उनका अंतर्निहित गुण होता है क्योंकि रंग कपड़े पर स्थानांतरित हो जाता है और शेष घोल को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए रंग और सामान्य नमक को संपत्ति के रूप में स्थानांतरित माना जाता है।

4. नरम करने की प्रक्रिया

कभी-कभी कपड़े को रंगने की प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया के दौरान सख्त हो जाता है, फिर कपड़े को नरम करने वाले एजेंटों (सॉफ्टनर) का उपचार दिया जाता है ताकि रंगीन कपड़े की कठोरता को दूर किया जा सके। इसलिए नरम करने की प्रक्रिया का भी कोई परिवर्तनकारी प्रभाव नहीं होता है और इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन के गुण का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।”

(पैरा 20)

और यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार, यह अवलोकन करना उचित होगा कि एच. वी. ए. टी. और सी. एस. टी. अधिनियम के तहत जो कर योग्य है, वह उस माल का मूल्य है जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में या तो माल के रूप में या किसी अन्य रूप में ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, न कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग या उपभोग की गई वस्तुओं का मूल्य, यदि ऐसे उपयोगकर्ता या उपभोग के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं में किसी भी रूप में ग्राहक को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। रंगाई और नौकरी के काम के दौरान खपत होने वाले रसायनों के पूरे मूल्य पर कर को बड़े हिस्से के रूप में वैट लगाने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाना है।

820

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

अंततः इसे प्रिंसिपल को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

(पैरा 22)

आगे कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि नौकरी के काम में उपयोग किए जाने वाले रसायन कर योग्य हैं, लेकिन उपयुक्त प्रश्न का उत्तर यह होगा कि कितने रंग/रंग कर योग्य हैं जो कपड़े में तब स्थानांतरित किए जाते हैं जब उपभोग्य की पूरी मात्रा हस्तांतरित नहीं की जाती है। वर्तमान मामले में, उन वस्तुओं में हस्तांतरित उपभोग्य सामग्रियों का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक होगा जिन पर कर लगाया जाता है। रसायनों, रंगों और रंगों के वास्तविक नुकसान का निर्धारण करते समय जहां कपड़ा या कपड़ा विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, वह तथ्यात्मक पहलू पर निर्भर करता है जिस पर केवल मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है जहां पक्ष अपने संबंधित दावों/तर्कों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

(पैरा 26)

अपीलार्थी (गण) की ओर से रोहित गुप्ता, अधिवक्ता, राजीव अग्निहोत्री, अधिवक्ता के. एल. गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता

तेजिंदर के. जोशी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील। ममता सिंगला तलवार, डी. ए. जी, हरियाणा।

अजय कुमार मित्तल, (एसीजे)

(1) यह आदेश वी. ए. टी. ए. पी. संख्या 32,45 से 81,83 से 106,110 से 116,123,126,127,128,147,149 से 155,2017 के 158,159,165,166,179 और 2018 के 05,06,28,30,41,43,56,57 वाली 94 अपीलों के एक समूह का निपटारा करेगा, क्योंकि पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इन सभी अपीलों में शामिल मुद्दा समान है। हालाँकि, तथ्यों को 2017 के वी. ए. टी. ए. पी. No.32 से निकाला जा रहा है।

(2) 2017 का वी. ए. टी. ए. पी. No.32 अपीलार्थी-निर्धारिती द्वारा हरियाणा कर न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश 17.03.2017, संलग्नक ए. 5 (संक्षेप में, "न्यायाधिकरण") के खिलाफ के एस. टी. ए. संख्या 513 में मूल्यांकन वर्ष 2003-04 के लिए दायर किया गया है, जिसमें कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दावा किया गया है:-

“(i) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने कपड़े को रंगने की कार्य प्रक्रिया में उपभोग्य सामग्रियों के रूप में उपयोग किए जाने वाले रसायनों पर कर लगाने को यह मानते हुए बरकरार रखा कि माल में संपत्ति प्रधानाचार्यों के पास चली गई है?

((ii) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने
मैसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

821

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

कपड़ों को रंगने की कार्य प्रक्रिया में बरकरार रखा था।

अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंगों के पूरे मूल्य पर कर का उद्ग्रहण, उस प्रक्रिया के दौरान बर्बाद होने वाले रंगों की मात्रा को नजरअंदाज करते हुए जिसमें संपत्ति को प्राचार्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है?

((ग) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, विद्वत न्यायाधिकरण के निष्कर्ष विपरीत हैं क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वस्तुओं में निहित संपत्ति अर्थात्

रंग और रसायन कपड़े को रंगने के कार्य में प्रमुख के रूप में हस्तांतरित किए जाते हैं?

((iv) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना उचित ठहराया था।

बिक्री कर आयुक्त बनाम मातुश्री का मामला

टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उक्त निर्णय कार्य अनुबंध कर की प्रयोज्यता से संबंधित है, न कि वस्तुओं की मात्रा जिस पर कर लगाया जाना है?"

(3) 2017 के वी. ए. टी. ए. पी. No.32 में वर्णित विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। अपीलार्थी हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षिप्त एच. वी. ए. टी. अधिनियम के लिए) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, "सी. एस. टी. अधिनियम") के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत एक विक्रेता है। निर्धारिती एक कपड़ा प्रोसेसर है और नौकरी के काम के निष्पादन में लगा हुआ है। दूसरे कपड़ा प्रक्रमकों के पास आता है और उचित प्रसंस्करण/निर्माण के बाद, तैयार उत्पाद को एक चालान उठाकर वापस भेज दिया जाता है, जिस पर मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) भी लगाया जाता है, हालांकि शुल्क की दर शून्य है और संबंधित अधिनियम में निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार धूसर कपड़े की लागत, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क आदि को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार, प्रसंस्कृत कपड़ा घोषित वस्तुओं की श्रेणी में आता है और ऐसे कपड़ों पर बिक्री कर का भुगतान पहले से ही अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तु) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पाद शुल्क के रूप में किया जाता है। निर्धारिती ने वर्ष 2003-04 के लिए सभी चार तिमाही विवरणी दाखिल की। इसने दावा किया कि बिक्री कर कानूनों के प्रावधानों के तहत कपड़ों की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाना चाहिए, जब कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मूल्यांकन तैयार करने के लिए, मूल्यांकन प्राधिकरण ने फॉर्म वेट एन. 2 में नोटिस जारी किया। नोटिस के

जवाब में, निर्धारिती ने मूल्यांकन प्राधिकरण को एल. पी. 3, एल. पी. 7 और No.C4 की सूचियों के साथ खरीद और बिक्री से संबंधित पर्याप्त प्रविष्टियां प्रस्तुत कीं। मूल्यांकन तैयार करते समय, मूल्यांकन प्राधिकरण ने जमा किए गए सभी अभिलेखों की निर्धारिती जांच की केश बुक से

लेज़र तक और इसके विपरीत क्रॉस प्रविष्टियों की जाँच की गई थी। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों की विस्तार से जांच की गई थी। बिक्री चालान, कर चालान को भी विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा जमा की गई लेखा पुस्तकों और सूचियों की मदद से सत्यापित किया गया था। मूल्यांकन प्राधिकरण ने टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर मूल्यांकन का निष्कर्ष निकाला कि ब्लीचिंग और रंगाई के कार्य के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले सभी रंगों और रसायनों को भौतिक रूप में या उनके अंतर्निहित गुणों के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए, नौआदेशी के कार्य के संलग्नक की प्रक्रिया में पारित माल में संपत्ति पर आदेश 20/03/2007 लगाया जाना चाहिए और मूल्यांकन अधिकारी ने रुपये 5,34,516/- की आदेश मांग की। रिलायंस को बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया था बिक्री कर आयुक्त बनाम मातुश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1.

आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) [जे. ई. टी. सी. (ए)] के समक्ष अपील दायर की। यह दलील दी गई थी कि निर्धारिती द्वारा ऐसा कोई कर देय नहीं था। मूल्यांकन प्राधिकरण के आदेश का किसी भी कारण/आधार या सामग्री के उस हिस्से के बारे में रिपोर्ट द्वारा समर्थन नहीं किया गया था जिसे तकनीकी रूप से रंगाई की प्रक्रिया के बाद स्थानांतरित किया गया था क्योंकि रंगे हुए कपड़े पर रसायन का कोई हस्तांतरण नहीं था। भले ही बिक्री कर लगाया जा सकता था, सबसे अच्छा यह कहा जा सकता है कि हस्तांतरित रंग लगभग 20 प्रतिशत हो सकते हैं। दिनांक 04/03/2008, संलग्नक ए. 2 के आदेश के माध्यम से, जे. ई. टी. सी. (ए) ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया में

संपत्ति का कितना हस्तांतरण शामिल था, इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण सबसे अच्छा न्यायाधीश था और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा इसका सही पता लगाया गया था। फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर, निर्धारिती ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिस अन्य बातों के साथ साथ अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि रंगाई और नौकरी के काम के दौरान खपत होने वाले रसायनों के मूल्य पर कर को एचवीएटी अधिनियम/सीएसटी अधिनियम के तहत वैट लगाने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाना था। यह भी तर्क दिया गया था कि इस प्रक्रिया अन्य बातों के साथ साथ उपयोग की जाने वाली डाई भी पूरी तरह से कर योग्य नहीं होगी क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा अंततः मूलधन को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। निर्धारिती ने विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी तकनीकी व्यक्तिगत प्रमाणपत्रों की रिपोर्ट वाली एक पेपर बुक भी प्रस्तुत की, जिसमें निर्धारिती के इस रुख को सही ठहराया गया कि वस्त्रों को रंगने की प्रक्रिया के दौरान रसायनों का अपव्यय होता है और प्रिंसिपल को भेजे गए अंतिम उत्पाद का केवल रंग का एक हिस्सा बनाया जाता है। दिनांक 17/03/2007, संलग्नक ए. 5 के विवादित आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायनों और रंगों के पूरे मूल्य पर कर लगाने को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि क्या

1 (2003) 132 एस. टी. सी. 539

823

एम/एस. ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

माल में संपत्ति हस्तांतरित की गई थी या नहीं। अतः अपीलार्थी-निर्धारिती द्वारा तत्काल अपील।

(4) अपीलकर्ता निर्धारिती के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश मातुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड के मामलों

(उपरोक्त) अन्य बातों के साथ साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जिसअन्य बातों के साथ साथ यह मुद्दा था कि क्या कपड़ा रंगने की प्रक्रिया कार्य अनुबंध के बराबर होगी या नहीं और वस्तुओं की मात्रा के बारे अन्य बातों के साथ साथ कोई विवाद नहीं था जिस पर कर लगाया जाएगा। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रंगाई और मुद्रण की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली रासायनिक रंगों और रंगों जैसी सामग्री की संपत्ति ग्राहक के कपड़े को दी जाती थी और इस प्रकार, सामग्री की संपत्ति को देना एक मानित बिक्री थी और कार्य अनुबंध के तहत ऐसी सामग्री पर कर लगाया जाता था। न्यायालय ने यह निर्णय नहीं लिया कि रंगों और रसायनों की कितनी मात्रा को इस तरह के कर का विषय बनाया जाएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न को उत्तर के लिए उसके पास नहीं भेजा गया था। विद्वान वकील ने गन्नन डंकरले बनाम राजस्थान राज्य 2 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर कार्य अनुबंध में कर लगाया जाता है। यह देखा गया कि कर योग्य घटना किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण है और ऐसी वस्तुओं में संपत्ति का उक्त हस्तांतरण तब होता है जब माल को कार्यों में शामिल किया जाता है। श्री कृष्ण स्पिनिंग में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया था और **वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्राधिकरण स्पष्टीकरण के लिए और एडवांस रूलिंग्स**, बैंगलोर 3, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि रंगाई करने वाले रसायनों का लगभग 10 से 20 प्रतिशत कपड़े द्वारा उपभोग किया जाता है और तकनीकी रिपोर्टों के अनुसार शेष बह जाते हैं। उस मामले में, अदालत ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त पहलू पर नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया था कि कपड़े के विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने पर रसायनों, रंगों और रंगों का वास्तविक नुकसान कितना होगा, मामले को मूल्यांकन कार्यालय को वापस भेज दिया ताकि इस बारे में विवरण तैयार किया जा सके कि कितने रसायन, रंग और रंग बह जाते हैं। निर्धारण अधिकारी को कानून के अनुसार कारोबार के मूल्य में उन रसायनों, रंगों और रंगों का वास्तविक प्रतिशत जोड़ने के लिए कहा गया था जिन्हें कपड़ा या कपड़े पर बनाए रखा गया था या एम्बेड किया गया था।

2 (1993) 1 एस. सी. सी. 364

3 (2010) 27 वीएसटी 194

824

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के 46वें संशोधन के तहत 02/02/1983 से अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की शक्ति अन्य बातों के साथ साथ कार्य अनुबंध के निष्पादन अन्य बातों के साथ साथ उपयोग की जाने वाली वस्तुओं अन्य बातों के साथ साथ संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाने की शक्ति शामिल है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, अधिकांश राज्यों ने अपने बिक्री कर कानूनों में संशोधन किया ताकि कराधान के दायरे में कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण को शामिल किया जा सके। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को भी इस तरह के बिक्री कर को शामिल करने के लिए 18.04.1984 पर संशोधित किया गया था। इस संबंध में एच. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया था। राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त कानूनी स्थिति से यह स्पष्ट है कि कपड़ा प्रोसेसर द्वारा ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग आदि में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर 18.04.1984 से कर लगाया जाता है, जहां इस तरह की वस्तुओं का उपयोग स्थानीय कार्य अनुबंधों के निष्पादन में किया जाता था, और 11.05.2002 से जहां वस्तुओं का उपयोग अंतरराज्यीय कार्य अनुबंधों के निष्पादन में किया जाता था। निर्धारिती के इस तर्क के संबंध में कि क्या नौकरी के काम में उपयोग किए जाने वाले रसायन कर योग्य हैं या नहीं और क्या रंग/रंग केवल उस मात्रा तक कर योग्य हैं जो कपड़े में स्थानांतरित की जाती है या पूरी मात्रा में नहीं, राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में मातुश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड के मामले (ऊपर) पर न्यायाधिकरण ने भरोसा किया अपने दिनांकित 17.03.2017

आदेश में रंगाई और मुद्रण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, रंगों और रंगों की करयोग्यता के मुद्दे पर और उनकी करयोग्यता की मात्रा पर भी निर्धारिती के खिलाफ है। राजस्व के लिए विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को यह कहते हुए समाप्त किया कि कपड़े को रंगने और छापने के काम में उपयोग किए जाने वाले रसायनों/रंगों/रंगों में पूरी संपत्ति कपड़े पर जाती है क्योंकि पीछे छोड़ा गया समाधान अपव्यय है और इसका कोई उपयोग या मूल्य नहीं है और इसलिए, नौकरी के काम में उपयोग किए जाने वाले सभी रसायनों और रंगों का मूल्य कर योग्य है।

(6) हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

(7) इन अपीलों में शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

हरियाणा मूल्य वर्धित कर, 2003 की खंड 2 (जी)

"बिक्री" को परिभाषित करता है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- "बिक्री" का अर्थ है नकदी या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण, सिवाय किसी वस्तु के बंधक या परिकल्पना या शुल्क या गिरवी रखने के; और इसमें शामिल हैं -

(i) XXXXXXXX

825

एम/एस ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

((ख) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);

((vi) "(vi)" और किसी भी माल के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा जो हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति कर रहा है और उस व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की खरीद कर रहा है जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है;

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की खंड 2 (जी) परिभाषित करती है

“बिक्री ”, जो नीचे दिए गए शब्दों के समान है:-

इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, एक व्यक्ति द्वारा नकदी या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण, और इसमें शामिल हैं: -

(i) XXXXXXXXXXX

((ख) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)।

((iii) से (vi) "

लेकिन इसमें माल का बंधक या परिकल्पना या माल पर शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की खंड 2 (डी) "वस्तुओं" को परिभाषित करती है:

“घ) "माल" में सभी सामग्री, वस्तुएं, वस्तुएं और अन्य सभी प्रकार की चल संपत्ति शामिल हैं, लेकिन इसमें समाचार पत्र, कार्रवाई योग्य दावे, स्टॉक, शेयर और प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं।”

(8) उपरोक्त प्रावधानों को सरलता से पढ़ने से पता चलता है कि बिक्री का अर्थ नकदी या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण है, सिवाय किसी बंधक या वस्तु के अनुमान या माल पर शुल्क या गिरवी रखने के। "माल" का अर्थ है सभी भौतिक वस्तुएँ, वस्तुएँ और अन्य सभी प्रकार की चल संपत्ति लेकिन इसमें समाचार पत्र, कार्रवाई योग्य दावे, स्टॉक, शेयर और प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं।

(9) एच. वी. ए. टी. की खंड 2 (जेड. जी.) "बिक्री मूल्य" को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:

इस प्रकार:

“2((झ) "बिक्री मूल्य" से किसी भी माल की बिक्री के लिए विचार के रूप में एक व्यापारी को देय राशि अभिप्रेत है, जो सामान्य रूप से व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार नकद या व्यापार छूट के रूप में बिक्री के समय अनुमत किसी भी राशि से कम है, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है और अभिव्यक्ति खरीद मूल्य का अर्थ उसी के अनुसार किया जाएगा;

व्याख्या:- (1) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, बिक्री मूल्य का अर्थ ऐसी राशि होगी जो ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान की गई या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि से कटौती द्वारा प्राप्त की जाती है, ऐसी राशि जो श्रम और ऐसे निष्पादन के लिए किए गए अन्य सेवा शुल्कों का प्रतिनिधित्व करती है, और जहां ऐसे श्रम और अन्य सेवा शुल्क मात्रात्मक नहीं हैं, तो बिक्री; मूल्य माल के अधिग्रहण की लागत और व्यापार में उन पर प्रचलित लाभ का मार्जिन, साथ ही माल में संपत्ति को स्थानांतरित करने की लागत और उसके संबंध में अन्य सभी खर्च होंगे, जब तक कि उनमें संपत्ति, चाहे वह ऐसी हो या किसी भी रूप में, संविदाकारी को पारित नहीं की जाती है और जहां संपत्ति एक अलग रूप में होती है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, एच. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत "बिक्री मूल्य" का अर्थ है किसी भी माल की बिक्री के लिए विचार के रूप में एक व्यापारी को देय राशि जिसमें बिक्री के समय अनुमत नकद या व्यापार छूट शामिल है, लेकिन इसमें विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले उसके संबंध में ली गई कोई भी राशि शामिल है। खंड 2 (जेड. जी.) के स्पष्टीकरण में किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में बिक्री मूल्य के निर्धारण की विधि प्रदान की गई है, जो कि भुगतान की गई या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि, ऐसे निष्पादन के लिए उपगत श्रम और अन्य सेवा शुल्कों से कटौती द्वारा प्राप्त राशि होगी और जहां यह इतना मात्रात्मक नहीं है, तो माल के अधिग्रहण की लागत और उन पर लाभ का प्रचलित

मार्जिन, माल में संपत्ति को स्थानांतरित करने की लागत और उसके संबंध में अन्य सभी खर्च जब तक कि उनमें संपत्ति को संविदाकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है और जहां संपत्ति को अलग रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसमें रूपांतरण की लागत शामिल होगी।

मैसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम स्टेट हरियाणा राज्य

827

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

"बिक्री मूल्य" सीएसटी अधिनियम के तहत अभिव्यक्ति का भी यही अर्थ है।। सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 2 (एच) निम्नलिखित शब्दों में है:- "2(ज) "बिक्री मूल्य" से किसी भी माल की बिक्री के लिए विचार के रूप में एक व्यापारी को देय राशि अभिप्रेत है, जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित प्रथा के अनुसार नकद छूट के रूप में अनुमत किसी भी राशि से कम है, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले व्यापारी द्वारा की गई किसी भी चीज़ के लिए माल ढुलाई या वितरण की लागत या उन मामलों में स्थापना की लागत के अलावा कोई भी राशि शामिल है जहां ऐसी लागत अलग से ली जाती है।

बशर्ते कि किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में, ऐसी वस्तुओं का बिक्री मूल्य निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें कार्य अनुबंध के लिए कुल प्रतिफल से ऐसी कटौती की जाएगी जो निर्धारित की जाए और ऐसी कीमत को इस खंड के प्रयोजनों के लिए बिक्री मूल्य माना जाएगा।"

(10) गैरन डंकरले के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि कर की गणना के प्रयोजनों के लिए, कर एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर एक कार्य अनुबंध में लगाया जाता है। कर योग्य घटना किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण है और ऐसी वस्तुओं में संपत्ति का उक्त हस्तांतरण तब होता है जब वस्तुओं को कार्यों में शामिल किया जाता है।

(11) एक कार्य अनुबंध में कर योग्य घटना को देखने के बाद, हम उस मुख्य मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो इस बात पर विचार करने के लिए उत्पन्न होता है कि ब्लीचिंग और रंगाई के कार्य को निष्पादित करते समय माल में संपत्ति के हस्तांतरण की मात्रा क्या है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह ब्लीचिंग और रंगाई के लिए उपयोग की जाने वाली पूरी सामग्री का मूल्य होगा या ब्लीचिंग और रंगाई की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का कुछ हिस्सा होगा जिसे कार्य अनुबंध के तहत काम पूरा करते समय माल में संपत्ति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।

(12) निर्धारिती द्वारा भरोसा किए गए विशेषज्ञों की विभिन्न तकनीकी रिपोर्टों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा जो निम्नानुसार हैं:-

“ 1 श्री के. पी. भट्ट, बी. एस.सी. द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 19.11.2004 बी. एस. सी. टेक (टेक्सटाइल चिमिस्ट्री), यू. डी. सी. टी., मुंबई, तकनीकी सलाहकार, टेक्सटाइल प्रोसेस इंडस्ट्री

इस रिपोर्ट में, तकनीकी विशेषज्ञ ने देखा था कि कपड़ा कपड़े की रंगाई और छपाई निम्नलिखित से गुजरती है।

828

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

प्रक्रियाएँ:

(i) सिलाई करना

प्रक्रिया का यह चरण कपड़े को प्रक्रिया के लिए तैयार करना है। इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन या रंग का उपयोग नहीं किया जाता है।

((ii) झुलसाना

इस प्रक्रिया में लगभग 15 प्रतिशत रसायनों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में सभी रसायन बाहर निकल जाते हैं।

(iii) स्कौरिंग और ब्लीचिंग

इस प्रक्रिया में, लगभग 15 प्रतिशत रंगों और रसायनों का उपयोग किया जाता है और सभी रसायनों को धो दिया जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में, कपड़ा उस मशीन द्वारा गुजरता है जिसमें रसायनों को 97 डिग्री द्वारांटीग्रेड के उच्च तापमान पर कपड़े पर लगाया जाता है। इस तापमान पर, ये रसायन कपड़े से मोम, वसायुक्त पदार्थ, पीले रंग को हटा देते हैं और कपड़े को अधिक अवशोषक और सफेद बना देते हैं।

(iv) मर्सराइजिंग

इस प्रक्रिया में, सेलूलोज़ की संरचना को बदलने के लिए कपड़े को कास्टिक सोडा घोल द्वारा से पारित किया जाता है। कपड़ा अधिक चमकदार हो जाता है और ताकत बढ़ जाती है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, पूरे कास्टिक को कपड़े से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में रंगों और रसायनों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

v) रंगाई

सभी प्रक्रियाओं के बाद, कपड़े को रंगने के लिए तैयार करने के लिए रंग लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। रंगाई की इस प्रक्रिया में, छाया के रंग के आधार पर, कपड़े पर 10 से 30 प्रतिशत रंग लगाए जाते हैं। बाकी रंग धोए जाते हैं। इस प्रक्रिया में, क्षार, सोडियम सिलिकेट और डिटर्जेंट पर प्रतिक्रियाशील रंगों और रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में, छाया के आधार पर 10 से 30 प्रतिशत छाया में चिपक जाते हैं और बाकी रंग और रसायन पूरी तरह से धो दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 20 प्रतिशत रंगों और कुल रसायनों का 10 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

(vi) छपाई

विलय के बाद, कपड़े को रंग दिया जाता है या मुद्रित किया जाता है।

यदि छपाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो कपड़ों पर रंगों का निर्धारण 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होगा। धोने/साबुन लगाने की बाद की प्रक्रिया में पूरे रसायनों के साथ बाकी रंगों को धोया जाता है। छपाई में कुल रंगों का लगभग 25 प्रतिशत और रंगों और रसायनों के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

(vii) समाप्ति

आवश्यकता के अनुसार कपड़े को नरम या भारी बनाने के लिए परिष्करण प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में कपड़े में कोई रासायनिक निशान नहीं रहते हैं और कुल रंगों और रसायनों के मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

निष्कर्ष: कपड़े का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है और रसायनों, एंजाइमों, एसिड और क्षार के निशान और अतिरिक्त रंगों को हटा दिया जाना चाहिए ताकि इसे मनुष्यों द्वारा पहनने के लिए हानिरहित बनाया जा सके। अंततः, रंगीन या मुद्रित कपड़ों में रंगों का एक छोटा सा हिस्सा होगा और उस पर कुछ और नहीं होगा।

2. श्री एच. वी. कृष्णास्वामी की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2005

“ 1.1 मैसर्स श्री कृष्णा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (एस. के. एस. डब्ल्यू. एम. पी. एल.), सुब्रमण्यपुरा, बेंगलोर-560061, ग्रे कपड़ों की सिलाई के पहले चरण से लेकर रंगाई/मुद्रण और परिष्करण के अंतिम चरण तक सूती कपड़ों के वस्त्र प्रसंस्करण में लगे हुए हैं।

1.2 मैसर्स एस. के. एस. डब्ल्यू. एम. पी. एल. अब इस प्रक्रिया के विवरण पर एक राय रखना चाहता है और विभिन्न चरणों में उपयोग किए जाने वाले रंगों, रसायनों और रंगों के स्थायी अवशोषण की सीमा का मूल्यांकन करना चाहता है, जो अंतिम उत्पादित कपड़ों में खुद को प्रकट करते हैं। यह रिपोर्ट इस आवश्यकता का विश्लेषण करती है।

2.0, 3.0, 4.0 xxxxxx. प्रक्रिया के विभिन्न चरणों द्वारा संक्षिप्त विवरण, ग्रे कपड़े द्वारा लानुआदेशिक आदेश में, निम्नानुसार हैं:

सिलाई

प्रक्रिया का पहला चरण ग्रे कपड़े को प्रक्रिया के लिए तैयार करना है। धूसर कपड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं जिनकी अधिकतम लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। हालांकि, टुकड़ों को व्यक्तिगत रूप से संसाधित नहीं किया जा सकता है और उन्हें प्रसंस्करण के लिए लगातार तैयार करने के लिए टुकड़े-टुकड़े सिलना पड़ता है। सिलाई कपड़े की लंबाई लगभग 300 मीटर और उससे ऊपर से भिन्न होती है।

830

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

झुलसाना

कपड़े की सतह पर ढीले रेशे होते हैं और कपड़े को अगली प्रक्रिया के लिए तैयार करने के लिए उन्हें हटाना पड़ता है। गायन की प्रक्रिया में कपड़े को एक निश्चित गति से एक समान लौ द्वारा से पारित किया जाता है। जब कपड़ा पूर्व निर्धारित गति से लौ से गुजरता है, तो कपड़े की सतह पर सभी ढीले रेशे जल जाते हैं और कपड़े की सतह बिना किसी ढीले रेशे के सादा हो जाती है और अगली प्रक्रिया के द्वारा तैयार हो जाती है।

डिज़ाइनिंग:

बुनाई (धागे को कपड़े में बदलने) के चरण में आकार (स्टार्च) लगाया जाता है। हालांकि, कपड़े को संसाधित करते समय, सभी अशुद्धियों और विदेशी सामग्री आदि को कपड़े से निकालना पड़ता है। कपड़े को केवल तभी संसाधित किया जा सकता है (रंगा या मुद्रित) जब यह सभी अशुद्धियों और विदेशी सामग्रियों से रहित हो।

डिसाइजिंग की प्रक्रिया की प्रकृति:

डिसाइजिंग की प्रक्रिया में, बुनाई के समय लगाए गए आकार (स्टार्च) को हटा दिया जाता है। कपड़े को गीला किया जाता है और कपड़े से आकार (स्टार्च) को हटाने के लिए कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। जब कपड़े पर कुछ रसायनों को लगाया जाता है, तो आकार (स्टार्च) को घुलनशील बनाया जाता है और सफाई के तुरंत बाद धोने की अंतिम प्रक्रिया में पूरी तरह से हटा दिया जाता है।

प्रयुक्त रसायन

- एंजाइम
- गीला करने वाले एजेंट
- डीयरेटिंग एजेंट
- सीक्वेस्ट्रिंग केमिकल्स

सुखाने की इस प्रक्रिया में कुल रंगों और रसायनों का लगभग 15 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

5.3.4. डिसाइजिंग का प्रभाव:

कपड़े को अलग करने के बाद, कपड़े का आकार (स्टार्च) से पूरी तरह से रहित हो जाता है।

831

एम/एस ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

और अगली प्रक्रिया यानी स्कौरिंग और ब्लीचिंग के लिए तैयार है। प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी रसायनों के साथ-साथ घुलनशील आकार (स्टार्च) को साफ करने के तुरंत बाद धोते समय पूरी तरह से धो दिया जाता है।

स्कौरिंग और ब्लीचिंग:

धूसर कपड़े का प्राकृतिक रंग पीला होता है और इसमें कुछ वसायुक्त पदार्थ, मोम आदि होते हैं। इसके कारण इस स्तर पर कपड़ा पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता है।

स्कौरिंग और ब्लिचिंग की प्रक्रिया की प्रकृति:

स्कौरिंग और ब्लिचिंग की प्रक्रिया में, गीले कपड़े को विभिन्न रसायनों को लागू करके उपचारित किया जाता है, और उच्च तापमान (लगभग 97 डिग्री सेल्सियस) पर मशीन द्वारा से पारित किया जाता है। इस तापमान पर इस प्रक्रिया में लगाए गए रसायन कपड़े से सभी अशुद्धियों जैसे वस, वसायुक्त पदार्थ और पीले रंग को हटा देते हैं। अंत में कपड़े को तब धोया जाता है जब सभी अशुद्धियों के साथ उपयोग किए जाने वाले सभी रसायनों को धो दिया जाता है, और कपड़ा सफेद हो जाता है और प्रकृति में अधिक अवशोषक होता है।

प्रयुक्त रसायन:

- सोडियम हाइड्रॉक्साइड
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड
- ऑर्गेनिक स्टेबिलाइज़र
- खनिजयुक्त एजेंटों को गीला करने वाले एजेंट

स्कौरिंग और ब्लिचिंग की इस प्रक्रिया में कुल रंगों और रसायनों का लगभग 30 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

स्कौरिंग और ब्लिचिंग का प्रभाव:

स्कौरिंग और ब्लिचिंग की प्रक्रिया कपड़े से सभी वसायुक्त पदार्थों, मोम और पीले रंग को हटा देती है, और कपड़ा अधिक अवशोषक और सफेद रंग का हो जाता है।

मर्सराइज़िंग:

विलय की प्रक्रिया की प्रकृति:

कपड़े की भौतिक विलय की इस प्रक्रिया में परिवर्तनों होता है।

कपड़ा की सेलूलोज़ संरचना सेलूलोज़ एक से सेलूलोज़ दो में बदल जाती है। कपड़े में फाइबर बेलनाकार हो जाता है और इसके कारण कपड़ा अधिक चमकदार हो जाता है और ताकत बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में कपड़े को कास्टिक सोडा घोल (26 प्रतिशत ताकत) द्वारा से पारित किया जाता है। कपड़े की सेलूलोज़ संरचना बदल जाती है जब यह कास्टिक सोडा घोल में प्रवेश करता है जो एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद पूरे कास्टिक सोडा को कपड़े से निकालना पड़ता है ताकि इसे अगली प्रक्रिया (रंगाई या मुद्रण) के लिए तैयार किया जा सके।

प्रयुक्त रसायन:

□ कास्टिक सोडा समाधान।

विलय की इस प्रक्रिया में कुल रंगों और रसायनों का लगभग 15 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

मर्सराइजिंग का प्रभाव:

जैसा कि पहले कहा गया है, इस प्रक्रिया के बाद कपड़े का भौतिक आयाम बदल जाता है। सेलूलोज़ संरचना एक से दो में बदल जाती है, और कपड़े की ताकत बढ़ जाती है।

रंगाई या छपाई:

रंगाई:

डिसाइजिंग, स्कौरिंग और ब्लिचिंग और मर्सराइजिंग के बाद कपड़े रंगाई या प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। इस स्तर पर कपड़े को उन सभी अशुद्धियों और विभिन्न रसायनों से रहित होना चाहिए जो पहले की प्रक्रियाओं में उपयोग किए गए थे और छोड़ दिए गए थे।

रंगाई की प्रक्रिया की प्रकृति:

इस प्रक्रिया में, आवश्यकता के अनुसार गुड़ में पैड बैच तकनीक या निकास प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर रंग लगाया जाता है। यहाँ कुछ रसायनों और डिटर्जेंट के साथ विभिन्न प्रतिक्रियाशील रंगों (आवश्यकता के अनुसार) का उपयोग किया जाता है। कपड़े पर रंगों (हल्के, मध्यम या गहरे) की आवश्यकता के आधार पर रंग लगाए जाते हैं। रंगाई की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कुल रंगों में से 10%-30% के बीच वास्तव में कपड़े पर लगाए जाते हैं। चूंकि रंगाई की प्रक्रिया ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर रंगों (हल्के, मध्यम और गहरे) के सभी संयोजनों में की जाती है, इसलिए यह माना जा सकता है कि कुल रंगों का औसतन

833

एम/एस ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

लगभग 20 प्रतिशत रंगाई की इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कपड़े वास्तव में कपड़े पर लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में उपयोग किए जाने वाले सभी रसायनों के साथ शेष 80 प्रतिशत रंग पूरी तरह से धुल जाते हैं।

प्रयुक्त रंग और रसायन: □ विभिन्न प्रतिक्रियाशील रंग-क्षार

□ सोडियम सिलिकेट

□ डिटर्जेंट

रंगाई की इस प्रक्रिया में लगभग 15 प्रतिशत (रसायन) और कुल रंगों और रसायनों का लगभग 20 प्रतिशत (रंग) का उपयोग किया जाता है।

रंगाई का प्रभाव

रंगाई की इस प्रक्रिया में सफेद कपड़े आवश्यकता के अनुसार रंगीन कपड़े बन जाते हैं और उपयोग किए जाने वाले रंगों का लगभग 20 प्रतिशत वास्तव में कपड़े पर लगाया जाता है।

रंगाई या छपाई: छपाई:

डिसाइजिंग, स्कौरिंग, ब्लीचिंग और मर्सराइजिंग के बाद, कपड़ा रंगाई या मुद्रण के लिए तैयार है। इस स्तर पर कपड़े को उन सभी अशुद्धियों और विभिन्न रसायनों से रहित होना चाहिए जो पहले की प्रक्रियाओं में उपयोग किए गए थे और छोड़ दिए गए थे। 5.7.1 5. 8 तक। 2 XXXXXXXX.

5.8.3 परिष्करण का प्रभाव

इस अंतिम प्रक्रिया में, कपड़े को नरम, भारी आदि जैसे अलग-अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। उपयोग किए जाने वाले कुल रसायनों का लगभग 3 प्रतिशत कपड़े पर रहता है।

7.0 राय:

यह मेरी राय है कि सूती कपड़ों को रंगने और छापने की कुल प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कुल रसायनों और रंगों की अनुमानित औसत मात्रा, जो तैयार माल के साथ अवशोषित और प्रकट होती है, वह लगभग -

□ 4.15% (चार बिंदु एक पाँच प्रतिशत) रंगाई के मामले में, और

834

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

□ 8.9% (आठ दशमलव नौ प्रतिशत) मुद्रण के मामले में।”

3. सरकार की रिपोर्ट। कपड़ा वस्तुओं के लिए गुणवत्ता विपणन केंद्र, पानीपत (हरियाणा सरकार का एक उपक्रम) दिनांक 26.03.2011

उपरोक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी दी गई है:-

(i) सिलाई करना

इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है।

((ii) मर्सराइजिंग

इस प्रक्रिया में रसायनों का उपयोग किया जाता है जहां कपड़े को घोल द्वारा गुजरना पड़ता है और अंत में एसिटिक एसिड की मदद द्वारा धोया और बेअसर किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद कपड़े की चौड़ाई में आयामी परिवर्तन 15 प्रतिशत कम हो

जाता है और कपड़े का वजन लगभग 9 प्रतिशत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद, सेवन किए गए रसायनों का कोई निशान या संपत्ति नहीं मिली है। निष्कर्ष निकाला जाता है कि हर रसायन धोया जाता है।

(iii) स्कोरिंग

कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजेन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड स्टेबलाइज़र, ब्लिचिंग पाउडर, एचसीएल, डिटर्जेंट और एसिटिक एसिड की मदद से जांच की जाती है। यह प्रक्रिया 97 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर आयोजित की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद कपड़े की चौड़ाई में आयामी परिवर्तन को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाता है और कपड़े का वजन भी लगभग 2 प्रतिशत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में खपत होने वाले पूरे रसायनों को धो दिया जाता है क्योंकि रसायनों का कोई निशान या गुण नहीं होता है।

((iv) आकार कम करना।

छानने के बाद, कपड़े को डिसाइज़र, एच. सी. एल. और सामान्य नमक की मदद से अलग किया जाता है। कपड़े से आकार को हटाने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है, इसके बाद कपड़े को फिर से डिटर्जेंट से अच्छी तरह से गर्म किया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रक्रिया तक उपयोग किया जाने वाला/सेवन किया जाने वाला हर रसायन पूरी तरह से बह गया था।

(v) रंगाई

डिसाइजिंग की प्रक्रिया संख्या (iv) के पूरा होने के बाद, रंगाई की प्रक्रिया 8

835 (मेसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य के वजन से)

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

प्रतिशत रंग कपड़ा की मदद से शुरू की जाती है। पूरा होने के बाद, डिटर्जेंट के साथ दो गर्म धोने और सामान्य पानी के दो गर्म और दो धोने दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में आयामी चौड़ाई में 6 प्रतिशत की वृद्धि होती है और कपड़े का वजन लगभग डेढ़ प्रतिशत बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में रसायनों का कोई निशान नहीं मिलता है जिससे

यह निष्कर्ष निकलता है कि हर रसायन बह जाता है। हालाँकि, यह देखा गया कि उपयोग किए गए रंगों का लगभग 17 प्रतिशत कपड़े द्वारा बनाए रखा गया है।

(vi) समाप्ति

रंगाई के बाद, सॉफ्टनर का उपयोग किया जाता है लेकिन अंतिम कपड़े में कोई निशान नहीं पाया जाता है।”

निष्कर्ष: अब यह स्पष्ट रूप द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है, यहाँ ऊपर कि विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गुजरने के बाद, कपड़े में अंततः केवल लगभग 17 प्रतिशत रंग होते हैं, जिनका उपयोग रंगाई की प्रक्रिया के दौरान किया गया है। भौतिक रूप से या इसके रासायनिक गुणों से ऊपर इस्तेमाल किए गए किसी भी रसायन का रंग वाले कपड़े पर कोई अस्तित्व नहीं है।

(13) विशेषज्ञों की रिपोर्टों के अवलोकन से पता चलता है कि रंगाई या मुद्रण की प्रक्रिया में, रंग और रसायन कपड़े से चिपके रहते हैं। इस प्रक्रिया में कुल रंगों का लगभग 20 प्रतिशत उपयोग किया जाता है, जिसमें से 10 से 30 प्रतिशत रंग कपड़े का हिस्सा होते हैं। लगभग 2 से 6 प्रतिशत रंग तैयार कपड़े का हिस्सा हैं। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि तैयार माल के साथ जो अवशोषित हो जाता है और प्रकट होता है, वह रंगाई के मामले में उपयोग किए जाने वाले रसायनों और रंगों की अनुमानित औसत गुणवत्ता का लगभग 4.15% और मुद्रण के मामले में 8.9% है। हरियाणा सरकार के उपक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गुजरने के बाद, कपड़े में अंत में केवल 17 प्रतिशत रंग होते हैं जिनका उपयोग रंगाई की प्रक्रिया के दौरान किया गया है और भौतिक रूप द्वारा या इसके रासायनिक गुणों द्वारा कोई अस्तित्व नहीं है। अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि रंगाई की प्रक्रिया में, रंग का कुछ हिस्सा कपड़े में अंतर्निहित होता है जो उन प्राचार्यों को दिया जाता है जिनके लिए काम किया जाता है जबकि कुछ हिस्से का उपयोग केवल उपभोग्य के रूप में किया जाता है।

(14) उपभोग्य वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान खो जाती हैं। भले ही उपभोग्य वस्तुएं वे वस्तुएं हों जो ठेकेदार को खो जाती हैं, लेकिन यह

पुरस्कार विजेता के लिए लाभ नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे काम को निष्पादित करने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। रसायनों का उपयोग निर्धारिती द्वारा केवल उसके द्वारा किए गए कार्य की सहायता के लिए किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में उन्हें बुझा दिया जाता है।

836

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

वे पुरस्कार विजेता को किसी भी रूप में, या तो माल के रूप में या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जाता है। काम कमोबेश एक श्रम अनुबंध है, जिसमें निर्धारिती रसायनों का उपयोग उसी तरह करता है जैसे वह काम के प्रदर्शन में किसी अन्य वस्तु या ईंधन या बिजली की अपनी मशीनरी का उपयोग करता है।

(15) अब, उस मामले के कानून का संदर्भ दिया जाता है जिस पर निर्भर किया जाता है

अपीलार्थी-निर्धारिती। गैरन डंकरले के मामले में (ऊपर), यह आयोजित किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि उपभोग्य सामग्रियों की लागत उन वस्तुओं के मूल्य का हिस्सा नहीं होगी जिन पर कार्य अनुबंध में कर देय है। संबंधित पैरा इस प्रकार है:-

“45. छियालिसवें संशोधन द्वारा शुरू की गई कानूनी कल्पना को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत कार्य अनुबंध जो माल की बिक्री के लिए एक में और श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए दूसरे में संपूर्ण और अविभाज्य हैं, एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल का मूल्य, जिस पर कर लगाया जाता है, उन शुल्कों को बाहर करना चाहिए जो श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के अनुबंध से संबंधित हैं। इसका अर्थ यह होगा कि कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क [मद सं. (i)], श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि [मद सं. (ii)], योजना, डिजाइन और वास्तुकार शुल्क [मद सं. (iii)], किराए पर प्राप्त करने के लिए शुल्क या किसी कार्य के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण [मद सं. (iv)], और पानी, बिजली, ईंधन आदि जैसी उपभोग्य वस्तुओं की लागत जो कार्य अनुबंध [मद सं. (v)] के

निष्पादन की प्रक्रिया में खपत होती है और श्रम और सेवाओं के लिए अन्य समान खर्चों को श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शुल्क के रूप में बाहर करना होगा। तथापि, मद सं. (vi) में उल्लिखित प्रभारों को बाहर नहीं किया जा सकता है। एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में माल में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में एक ठेकेदार की स्थिति माल में एक व्यापारी की स्थिति से अलग नहीं है जो बेचे गए माल के लिए ग्राहक से उसके द्वारा लिए गए बिक्री मूल्य पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उक्त कीमत में माल को बिक्री के स्थान पर लाने की लागत शामिल है। इसी तरह, कर लगाने के उद्देश्य से कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं के मूल्य का पता लगाने के उद्देश्य से, कार्य स्थल तक माल के परिवहन की लागत को उक्त माल के मूल्य के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए। मद सं. (vii) में उल्लिखित शुल्क विभिन्न खर्चों से संबंधित हैं जो ठेकेदार की स्थापना की लागत का हिस्सा हैं।

837

मेसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

आम तौर पर स्थापना की लागत विक्रेता द्वारा बेचे गए सामान के लिए ग्राहक से लिए जाने वाले बिक्री मूल्य में शामिल होती है। चूंकि एक समग्र कार्य अनुबंध में सामग्री की आपूर्ति के साथ-साथ श्रम और सेवाओं की आपूर्ति शामिल होती है, इसलिए ठेकेदार की स्थापना की लागत को सामग्री की आपूर्ति से जुड़े अनुबंध के हिस्से और श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े हिस्से के बीच विभाजित करना होगा। ठेकेदार की स्थापना की लागत जो श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है, उसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है और स्थापना की लागत जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है, केवल माल के मूल्य में शामिल की जा सकती है। लाभ से संबंधित मद सं. (viii) के संबंध में भी इसी तरह का विभाजन करना होगा। जो लाभ सामग्री की आपूर्ति से संबंधित हैं, उन्हें माल के मूल्य में शामिल किया जा सकता है और जो लाभ श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं, उन्हें बाहर करना होगा। इसका अर्थ है कि मद एन. ओ. एस. (vii) और (viii) में उल्लिखित शुल्कों के संबंध में, ठेकेदार की स्थापना की लागत के

साथ-साथ उसके द्वारा अर्जित लाभ को श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होने की सीमा तक बाहर रखना होगा। इस प्रकार कटौती योग्य राशि का निर्धारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किसी विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में किया जाना चाहिए। अतः किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल का मूल्य पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए और उसमें से श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क की कटौती की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क;

ख) श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि; ग) योजना, डिजाइन और वास्तुकार के शुल्क के लिए शुल्क;

घ) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण किराए पर या अन्यथा प्राप्त करने के लिए शुल्क;

ङ) कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली जल, बिजली, ईंधन आदि जैसी उपभोग्य सामग्रियों की लागत, वह संपत्ति जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरण नहीं किया जाता है; और

838

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

च) ठेकेदार की स्थापना की लागत जिस हद तक श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

छ) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान खर्च;

ज) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ जिस हद तक श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

इन शीर्षों के तहत कटौती योग्य राशियों का निर्धारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किसी विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में किया जाना चाहिए।

46. हालाँकि, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऊपर उल्लिखित कटौती के अलावा, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3,4 और 5 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत आने वाली वस्तुओं के साथ-साथ उन वस्तुओं के मूल्य को अनुबंध कार्यों के मूल्य से बाहर करना आवश्यक होगा जो कर योग्य नहीं हैं। कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं का मूल्य उन कटौती और कार्य अनुबंध के मूल्य से बहिष्करण के बाद निर्धारित करना होगा।”

(16) श्री कृष्णा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

मामला (ऊपर), कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि सूती कपड़ों पर निर्धारिती द्वारा किया गया रंगाई कार्य अंतिम कार्य है, लेकिन रंगाई के इस कार्य से पहले, कपड़े को रंगाई के लिए उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं जैसे कि ब्लीचिंग, स्कौरिंग और मर्सराइजिंग। तकनीकी रिपोर्टों के अनुसार, रंगाई करने वाले रसायनों का 10 से 20 प्रतिशत कपड़े द्वारा उपभोग किया जाता है और शेष बह जाते हैं। कपड़े की रंगाई और छपाई की प्रक्रिया में कितने रसायन, रंग और रंग बह जाते हैं, इसके बारे में विवरण तैयार करने के लिए मामले को मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया गया था। संबंधित पैरा निम्नानुसार है:-

“5. अपीलकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक व्यापारी कर्तव्य है और अपने खाते से और नौकरी-कार्य के आधार पर भी वस्त्रों को रंगने और छापने के व्यवसाय में लगा हुआ है। उक्त उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता बॉयलर को चलाने के लिए भूसी और कृषि आधारित ईंधन और डीजल का उपयोग करने के अलावा राज्य के भीतर और बाहर रंगों, रसायनों और रंगों की सामग्री खरीदता है।

839

मेसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

6. अपीलकर्ता के अनुसार, इसमें वेतन, बिजली, मरम्मत, प्रशासनिक और बिक्री खर्च शामिल हैं। अपीलकर्ता का यह भी तर्क रहा है कि रंगाई और छपाई के काम में

उपयोग किए जाने वाले रंगों, रसायनों और रंगों का पूरा उपभोग नहीं किया जाता है, लेकिन अंतिम उत्पाद की प्रक्रिया में उनका कुछ प्रतिशत बह जाएगा। चूंकि उपलब्ध लेकिन उपभोग्य सामग्रियों के रूप में उपयोग किए जाने वाले इनपुट क्रेडिट के मुद्दे के अलावा ऐसे काम पर कर योग्य कारोबार की गणना के संबंध में कुछ संदेह था, इसलिए अपीलकर्ता ने अधिनियम की खंड 60 के तहत एक आवेदन दायर करके प्राधिकरण के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करके स्पष्टीकरण मांगा।

7. अपीलकर्ता द्वारा उनके द्वारा निर्मित सूती कपड़ों पर किया गया रंगाई कार्य अंतिम कार्य है, लेकिन रंगाई के इस कार्य से पहले, कपड़े को रंगाई के लिए उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। आम तौर पर की जाने वाली प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

(1) डिसाइजिंग (2) स्कौरिंग (3) ब्लिचिंग (4) मर्सराइजिंग (5) डाइंग और फिनिशिंग

8. जबकि कपड़ा उपरोक्त प्रक्रियाओं से गुजरता है, इस प्रक्रिया में कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है जो उपभोग्य होते हैं और जो सूती कपड़ों को नहीं पकड़ते हैं। उपरोक्त प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, रंगाई की जाती है जो सूती कपड़े पर स्थायी प्रभाव डालती है और अंततः ग्रे कपड़े को मुद्रित कपड़े में बदल देती है जिसे बाजारों में बेचा जाता है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रंगाई की प्रक्रिया में, और मुद्रण की प्रक्रिया में भी, कुछ मात्रा में रसायन, रंग और रंग बह जाते हैं और वे वस्त्र या कपड़े पर अंतर्निहित नहीं रहते हैं। इस प्रकार रासायनिक रंगों और रंगों का लाभ जो इस हद तक बह जाते हैं, अपीलकर्ता तक बढ़ाया जा सकता है।

10. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने कपड़ा प्रसंस्करण उद्योग के तकनीकी सलाहकार श्री के. पी. भट्ट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि रंगाई में, लगभग 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत रंगों और रसायनों का कपड़े द्वारा उपभोग किया जाता है और शेष बह

जाते हैं। आम तौर पर, रंगाई के लिए इसमें यह उल्लेख किया गया है कि लगभग 20 प्रतिशत रंगों और 10 प्रतिशत रसायनों का उपयोग किया जाता है और शेष बह जाते हैं। अंततः विशेषज्ञ का निष्कर्ष इस प्रकार है:

जैसा कि हर कोई जानता है, कपड़े का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है और रसायनों, एंजाइमों, एसिड और क्षार के निशान और अतिरिक्त रंगों को हटा दिया जाना चाहिए ताकि इसे मनुष्यों द्वारा पहनने के लिए हानिरहित बनाया जा सके। अंततः, रंगीन या मुद्रित कपड़ों में रंगों का एक छोटा सा हिस्सा होगा और उस पर कुछ और नहीं होगा।”

(17) बिक्री कर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे बनाम R.M.D.C. प्रेस प्राइवेट लिमिटेड।⁴, बॉम्बे हाई

अदालत ने राय दी कि मुद्रण के कार्य के निष्पादन में, स्याही में संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है जिसका उपयोग मुद्रण के उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में स्याही मुद्रक का एक उपकरण है। मुद्रण की प्रक्रिया में इसका सेवन किया जाता है और माल के रूप में अपनी पहचान खो देता है। प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:- “5. विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या मुद्रण के कार्य-कार्य के निष्पादन में, स्याही में संपत्ति का कोई हस्तांतरण शामिल है। हमने इस विवाद पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हालाँकि, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि मुद्रण के कार्य-कार्य के निष्पादन में, स्याही में संपत्ति का कोई हस्तांतरण होता है जिसका उपयोग मुद्रण के उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में, स्याही मुद्रक का एक उपकरण है। मुद्रण की प्रक्रिया में इसका सेवन किया जाता है और “माल” के रूप में अपनी पहचान खो देता है। मुद्रण अनुबंध के निष्पादन में किसी भी संपत्ति को स्याही के रूप में या किसी अन्य रूप में स्याही में पारित नहीं कहा जा सकता है। कोई भी ग्राहक, मुद्रण में उपयोग की जाने वाली स्याही, इसकी मात्रा या लागत से चिंतित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जब कोई ग्राहक कुछ कागजों की छपाई कराता है, तो उसे स्याही भी या तो स्याही के रूप में या किसी अन्य रूप में मिलती है। इस प्रकार मुद्रण के कार्य अनुबंध के निष्पादन में स्याही का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है। यह अवलोकन करना उचित हो सकता है कि अधिनियम के तहत जो कर योग्य है वह

उस माल का मूल्य है जो माल के रूप में या किसी अन्य रूप में कार्य अनुबंध के निष्पादन में ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, न कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग या उपभोग की गई वस्तुओं का मूल्य, यदि ऐसे उपयोगकर्ता या उपभोग के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं में किसी भी रूप में ग्राहक को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। ऐसा होने पर,

4 (1999) 112 एस. टी. सी. 307

841

एम/एस. ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

हमारी राय में, न्यायाधिकरण का यह अभिनिर्णय सही था कि स्याही के रूप में या किसी अन्य रूप में मुद्रण के अनुबंध के निष्पादन में शामिल स्याही में संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है।”

(18) केरल उच्च न्यायालय माइक्रोट्रोल में इसी तरह के मुद्दे पर विचार कर रहा है नसबंदी सेवा प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य 5,

यह देखा गया कि बिक्री कर केवल उन वस्तुओं के मूल्य पर देय है जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में ठेकेदार से हस्तांतरित किए जाते हैं। उपभोग्य वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान खो जाती हैं। दूसरे शब्दों में वे कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:-

“उपभोग्य वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान खो जाती हैं। भले ही उपभोग्य वस्तुएं ठेकेदार के हाथों खो जाती हैं, लेकिन यह पुरस्कार विजेता के लिए लाभ नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे काम को निष्पादित करने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। आदेश अदालत में मौजूद निर्धारिती के प्रतिनिधि ने नसबंदी प्रक्रिया को एक कॉम्पैक्ट एयरटाइट कमरे के उपयोग के रूप में समझाया जिसमें पैक किए गए रूप में नसबंदी किए जाने वाले सामान को लगभग छह घंटे के लिए एथिलीन ऑक्साइड

के संपर्क में रखा जाता है और फिर उक्त गैस को चिमनी द्वारा से उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाने के बाद बाहर निकलने दिया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड एक विषैली गैस है जो अत्यधिक ज्वलनशील है। नसबंदी की अवधि के बाद, गैस को कार्बन-डाइऑक्साइड से निष्क्रिय करने के बाद हवा में छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि नसबंदी के बाद वस्तुओं में एथिलीन ऑक्साइड का कोई निशान नहीं रहता है जो पूरी तरह से हवा में छोड़ दिया जाता है। इसलिए, माल के नसबंदी के दौरान निर्धारिती से ग्राहकों को एथिलीन ऑक्साइड का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। दूसरी ओर, इसका उपयोग निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवा में उपभोग्य के रूप में किया जाता है, जिसके मूल्य को अधिनियम की खंड 5सी के तहत कार्य अनुबंध के कर योग्य कारोबार के निर्धारण में बाहर रखा जाना है। कीटनाशक के उपयोग के मामले में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय और अग्नि कार्य के मामले में इस न्यायालय के अन्य निर्णय इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। सरकारी प्लीडर द्वारा उद्धृत निर्णय नहीं होगा

5 (2009) 26 वीएसटी213 (केरल)

842

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

इस मामले में लागू होता है क्योंकि वे रंगाई के काम से जुड़े मामले हैं जहां रंग को ग्राहक द्वारा आपूर्ति किए गए कपड़े में स्थानांतरित किया जाता है और कपड़े में रखा जाता है। इसलिए, हम नसबंदी कार्य में उपयोग किए जाने वाले एथिलीन ऑक्साइड के मूल्य पर कर लगाने और उसकी मांग की पुष्टि करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। इसलिए, हम मूल्यांकन की पुष्टि करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को उलटकर और यह घोषणा करके कि नसबंदी कार्य में

उपयोग किए जाने वाले एथिलीन ऑक्साइड के मूल्य पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, बिक्री कर संशोधन की अनुमति देते हैं।”

(19) केरल उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को दोहराया गया था।

डायनामिक आई एंड सी सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य 6, रिकॉर्डिंग द्वारा

कि याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग किए गए रसायन केवल संयंत्र में बॉयलरों की सफाई के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में किए गए काम की सहायता के लिए थे और इस प्रक्रिया में उन्हें बुझा दिया गया था। उन्हें किसी भी रूप में या तो माल के रूप में या अन्यथा पुरस्कार विजेता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

“रसायनों का उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा केवल उसके द्वारा किए गए काम की सहायता के लिए किया जा रहा है, संयंत्र में बॉयलरों की सफाई के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में और इस प्रक्रिया में उन्हें बुझा दिया जाता है। उन्हें किसी भी रूप में पुरस्कार विजेता को माल के रूप में या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जाता है। यह काम कमोबेश एक श्रम अनुबंध है, जिसमें याचिकाकर्ता रसायनों का उपयोग उसी तरह करता है जैसे वह काम के प्रदर्शन में ईंधन या बिजली की अपनी मशीनरी की किसी अन्य वस्तु का उपयोग करता है। माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है और कोई भी बिक्री स्पष्टीकरण 3ए के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

मैसर्स चंदोक टेक्सटाइल्स एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यू. पी. और अन्य, सिविल मिस्क में भी इसी तरह का निर्णय लिया गया था। लिखें।

2014 की याचिका संख्या 273 में 18.05.2016 और राज्य के बारे में निर्णय लिया गया

झारखंड और अन्य बनाम वोल्टास लिमिटेड। 7 .

(20) वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से, निर्धारिती एक कपड़ा प्रोसेसर है और नौकरी के काम के निष्पादन में लगा हुआ

है। धूसर कपड़े को प्रोसेसर द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे ब्लिचिंग, डाइंग, डी-साइजिंग और प्रिंटिंग के अधीन करके तैयार कपड़े में संसाधित किया जाता है।

6 (1995) 97 एसटीसी 564

7 (2007) 7 वीएसटी 317 (एससी)

843

मेसर्स ए. पी. प्रोसेसर बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

प्रसंस्करण/निर्माण के बाद तैयार कपड़े को कपड़े के मालिक को वापस भेज दिया जाता है। रंगाई और विरंजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या करते हुए, अपीलकर्ता के अनुसार, कपड़ा निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरता है:-

1. धोने की प्रक्रिया

धुलाई रसायनों की मदद से की जाती है, जैसे कि डिसाइज़र, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एच. सी. एल., पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीलिक एसिड, सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड। धोने की पूरी प्रक्रिया में कपड़े के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। यह वैसा ही रहता है जैसा धोने से पहले था। धूसर कपड़े से केवल अशुद्धियाँ और धूल हटाई जाती है। कपड़े धोने की प्रक्रिया में किसी भी रासायनिक पास की संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। इस चरण के बाद कपड़े को आर. एफ. डी. (रेडी फॉर डाइंग) कहा जाता है। कि इस चरण तक खपत होने वाले सभी रसायनों को कपड़े से निकालना आवश्यक है और इसके लिए कपड़े पर परीक्षण किए जाते हैं क्योंकि एक भी रसायन (या उसके गुण) की उपस्थिति कपड़े के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर देगी। इसके अलावा, उपरोक्त रसायनों के गुण प्रकृति में इतने खतरनाक हैं कि इसे किसी भी परिस्थिति में कपड़े के साथ पारित नहीं किया जा सकता है।

2. सफेदी की प्रक्रिया

सफेदी प्रक्रिया जिसमें आर. एफ. डी. कपड़े को सफ़ेद करने वाले एजेंटों के संपर्क में लाया जाता है ताकि ग्रे कपड़े को सफ़ेद रंग का प्रभाव दिया जा सके। इसलिए, ब्लिचिंग प्रक्रिया की प्रक्रिया में, कपड़े पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि भूरे रंग के कपड़े का रंग सफेद हो जाता है। इसलिए सफ़ेद करने वाले एजेंटों को अंतर्निहित संपत्ति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।

3. रंगाई की प्रक्रिया

रंगाई की प्रक्रिया आर. एफ. डी. कपड़े को डाईस्टफ (रंग और रंगाई रसायनों का घोल) और रंगाई मशीन में सामान्य नमक के संपर्क में लाकर की जाती है और कपड़े पर आवश्यक रंग छाप प्राप्त की जाती है। इसलिए रंगाई की प्रक्रिया में, रंग और सामान्य नमक का परिवर्तनकारी प्रभाव होता है और उनका अंतर्निहित गुण होता है क्योंकि रंग कपड़े पर स्थानांतरित हो जाता है और शेष घोल को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए रंग और सामान्य नमक को संपत्ति के रूप में स्थानांतरित माना जाता है।

844

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

नरम करने की प्रक्रिया

कभी-कभी कपड़े को रंगने की प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया के दौरान सख्त हो जाता है, फिर कपड़े को नरम करने वाले एजेंटों (सॉफ्टनर) का उपचार दिया जाता है ताकि रंगीन कपड़े की कठोरता को दूर किया जा सके। इसलिए नरम करने की प्रक्रिया का भी कोई परिवर्तनकारी प्रभाव नहीं होता है और इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन के गुण का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।”

(21) दूसरे शब्दों में, ब्लिचिंग और डाइंग बहु-स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें रसायनों का उपयोग शुरू में किया जाता है और कपड़े को रंगने की प्रक्रिया के लिए अनुकूल होने से पहले अनिवार्य रूप से धोया जाता है। रंगाई करने के बाद कपड़े को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। प्रारंभ में कपड़े को कास्टिक सोडा, डिसाइज़र, सोडा ऐश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एच. सी. एल., पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीलिक एसिड,

सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड की मदद से धोने का संकेत मिलता है। उक्त प्रक्रिया घर पर कपड़े धोने के पाउडर की मदद से कपड़े धोने के समान होगी। धोने का प्रभाव यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आगे की प्रक्रिया को करने से पहले कपड़े से जुड़े तत्वों और गंदगी के हिस्से को हटा दिया जाए। यह भी दावा किया गया था कि इस प्रक्रिया में कपड़े का वजन कम हो जाता है जिससे पता चलता है कि कपड़े में कोई रसायन नहीं चिपकता है। ऐसे रसायनों के गुण, यदि कपड़े में अवशोषित किए जाते हैं और स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कपड़ा पहनने के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। अपीलकर्ता द्वारा उनके द्वारा निर्मित सूती कपड़ों पर किया गया रंगाई कार्य अंतिम कार्य है, लेकिन रंगाई के इस कार्य से पहले, कपड़े को रंगाई के लिए उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। आम तौर पर की जाने वाली प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

(1) डिसाइजिंग (2) स्कौरिंग (3) ब्लीचिंग (4) मर्सराइजिंग (5) डाइंग और फिनिशिंग।

जबकि कपड़ा उपरोक्त उपचार से गुजरता है, कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है जो उपभोग्य वस्तुएं हैं और जो सूती कपड़ों को नहीं पकड़ते हैं। उपरोक्त प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, रंगाई की जाती है जो सूती कपड़े पर स्थायी प्रभाव डालती है और अंततः ग्रे कपड़े को मुद्रित कपड़े में बदल देती है जिसे बाजार में बेचा जाता है। रंगाई के कार्य में, और मुद्रण में भी, कुछ मात्रा में रसायन, रंग और रंग धोए जाते हैं और वे वस्त्र या कपड़े पर अंतर्निहित नहीं रहते हैं। इस प्रकार, रसायनों, रंगों और रंगों का लाभ जो इस हद तक बह जाते हैं, निर्धारित-अपीलार्थी को दिया जाएगा। गैरन डंकरले के मामले (उपरोक्त) में, यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि कटौती की अनुमति देते समय, वास्तविक कुल सकल कारोबार से उपभोग्य सामग्रियों की निर्धारित कटौती की आवश्यकता होती है।

845

एम/एस ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

वर्तमान मामले में कर योग्य कारोबार और रंगों और रसायनों के कुछ प्रतिशत उपभोक्ता होने को बाहर रखा जाना आवश्यक है। (22) इस प्रकार, यह अवलोकन करना उचित होगा कि एच. वी. ए. टी. और सी. एस. टी. अधिनियम के तहत जो कर

योग्य है, वह उन वस्तुओं का मूल्य है जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में या तो माल के रूप में या किसी अन्य रूप में ग्राहक को हस्तांतरित की जाती हैं, न कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग या उपभोग की गई वस्तुओं का मूल्य, यदि ऐसे उपयोगकर्ता या उपभोग के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं में किसी भी रूप में ग्राहक को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। रंगाई और नौकरी के काम के दौरान खपत होने वाले रसायनों के पूरे मूल्य पर कर को वैट लगाने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा अंततः मूलधन को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

(23) सभी निष्पक्षता में, विद्वान राज्य वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का संदर्भ दिया जाता है। मातुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला इस पहलू से संबंधित था कि क्या कपड़ा रंगने की प्रक्रिया कार्य अनुबंध के बराबर होगी या नहीं और वस्तुओं की मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं था जिस पर कर लगाया जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि रंगाई और मुद्रण की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली रासायनिक रंगों और रंगों जैसी सामग्री की संपत्ति ग्राहक के कपड़े को दी जाती है और इस तरह सामग्री की संपत्ति को देना एक मानित बिक्री है और कार्य अनुबंध के तहत ऐसी सामग्री पर कर लगाया जाता है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की थी कि रंगों और रसायनों की कितनी मात्रा को इस तरह के कर का विषय बनाया जाएगा।

जिस मुद्दे पर नीचे की अदालतों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, वह रंगाई और मुद्रण के कार्य की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, रंगों और रंगों की मात्रा है जो कर योग्य है। न्यायाधिकरण ने मातुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जो इस मुद्दे से संबंधित था कि क्या कपड़ा रंगने की प्रक्रिया कार्य अनुबंध के बराबर होगी या नहीं। रंगों और रसायनों की कितनी मात्रा को इस तरह के कर का विषय बनाया जाएगा, इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया था। निर्णय का प्रासंगिक पैरा

मातुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड के मामले में (ऊपर) इस प्रकार है:-

“39. अब, दूसरे प्रश्न की ओर मुड़ते हुए, न्यायाधिकरण ने माना है कि कपड़ों को दी गई रंगीन छाया रंगाई में उपयोग की जाने वाली सामग्री की बहुत कम मात्रा का

प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए कार्य अनुबंध अधिनियम लागू नहीं होता है। जैसा कि राजस्व के वकील द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, कार्य अनुबंध

अधिनियम के तहत, जो प्रासंगिक है वह कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में संपत्ति, न कि गुजरने वाली सामग्री की मात्रा का पारित होना

है। यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि रंगाई के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक घोल रंगाई के बाद भी अपने गुण को बनाए रखता है। वास्तव में, यह प्रतिवादी का विशिष्ट मामला है कि एक ग्राहक के ग्रे कपड़ों को रंगने के लिए तैयार किए गए घोल का उपयोग दूसरे ग्राहक के ग्रे कपड़ों को रंगने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिवादी का मामला है कि किसी विशेष कपड़े की रंगाई पूरी होने पर, रासायनिक घोल बेकार हो जाता है और उसे अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि रंगाई के पूरा होने पर, रंगाई में उपयोग की जाने वाली सामग्री का पूरा गुण पारित हो जाता है और जो घोल के रूप में बचा रहता है वह अवशेष या अपशिष्ट के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में, कपड़ों पर रंगीन छाया रंगाई में उपयोग की जाने वाली सामग्री के पूरे गुण का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, न्यायाधिकरण के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं था कि रंगीन छाया रंगाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की केवल बहुत कम मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए, अधिनियम लागू नहीं होता है। इस संदर्भ में, हम कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर की गणना से संबंधित मुद्दे से संबंधित नहीं हैं। हम केवल कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री पर कार्य अनुबंध अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कार्य अनुबंध अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए जो प्रासंगिक है वह माल में संपत्ति का पारित होना है न कि माल की मात्रा जो गुजरती है। श्री जोशी पर निर्भर 130 एस. टी. सी. 1 के मामले में शीर्ष न्यायालय का निर्णय किसी भी तरह से प्रतिवादी के मामले का समर्थन नहीं

करता है। तदनुसार, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं था कि कार्य अनुबंध अधिनियम वर्तमान मामले में लागू नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को दी गई रंगीन छाया रंगाई की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री की केवल एक छोटी मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है।”

(24) टेकटेक्स प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स बनाम केरल राज्य 8 में,

मुद्दा यह था कि क्या न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में उचित था कि नौकरी के कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए गए रसायन और रंग याचिकाकर्ता के हाथों कर योग्य थे। यह माना गया था कि कपड़ा कपड़ों को विरंजित करने की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली वस्तु को रंग के रूप में नहीं माना जा सकता है।

8 2004 (136) एसटीसी 435 (केरल)

847

मेसर्स ए. पी. प्रोसेसर्स बनाम हरियाणा राज्य

(अजय कुमार मित्तल, एसीजे)

अधिनियम की खंड 5सी (1) (सी) (iii) में उल्लिखित उपभोग्य। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया।

(25) पूर्वी भारत में कपास विनिर्माण बनाम राज्य

हरियाणा 9, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार कपड़े में ग्रे कपड़े के प्रसंस्करण की गतिविधि अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है। मेसर्स माहिम पात्रम में

प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, सिविल अपील 922

2007 का 23.2.2007 पर तय किया गया, सवाल यह था कि क्या परीक्षा बोर्डों के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान एक कार्य अनुबंध के बराबर है।

मेसर्स संबद्ध सीमेंट कंपनियाँ बनाम सीमा शुल्क आयुक्त में,

2000 की सिविल अपील No.821 ने 25.1.2001 पर निर्णय लिया, मुद्दा यह था कि क्या मशीनरी या औद्योगिक प्रौद्योगिकी से संबंधित चित्र, डिजाइन आदि ऐसी वस्तुएं थीं जो उनके आयात के समय उनके लेनदेन मूल्य पर सीमा शुल्क के लिए देय थीं। इनमें से किसी भी निर्णय में, मुद्दा रंगाई या मुद्रण आदि के कार्य की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, रंगों और रंगों के प्रतिशत/मात्रा के संबंध में नहीं था, जो कर योग्य है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता उक्त निर्णयों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

(26) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि नौकरी के काम में उपयोग किए जाने वाले रसायन कर योग्य हैं, लेकिन प्रासंगिक सवाल का जवाब यह होगा कि कितने रंग/रंग कर योग्य हैं जो कपड़े में स्थानांतरित किए जाते हैं जब उपभोग्य की पूरी मात्रा स्थानांतरित नहीं की जाती है। वर्तमान मामले में, उन वस्तुओं में हस्तांतरित उपभोग्य सामग्रियों का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक होगा जिन पर कर लगाया जाता है। रसायनों, रंगों और रंगों के वास्तविक नुकसान का निर्धारण करते समय जहां कपड़ा या कपड़ा विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, वह तथ्यात्मक पहलू पर निर्भर करता है जिस पर केवल मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है जहां पक्ष अपने संबंधित दावों/तर्कों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

(27) ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति के आलोक में, जैसा कि दावा किया गया है, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है और अधिकारियों द्वारा पारित विवादित आदेशों को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा कपड़ों को रंगने और छापने की प्रक्रिया में बह जाने वाले रसायनों, रंगों और रंगों की मात्रा का विवरण तैयार करने के लिए मामले को मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया जाता है। अपने-अपने विवादों के बारे में पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देने के बाद मूल्यांकन अधिकारी इस संबंध में तथ्यात्मक जांच करेगा।

इसके बाद, वह व्यापार के मूल्य में रसायनों, रंगों और रंगों के प्रतिशत को जोड़ने के मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा, जो कानून के अनुसार, वस्त्र या कपड़ों पर बनाए या एम्बेड किए जाते हैं। निर्धारण अधिकारी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और मामले के कानून की जांच करने के बाद ऐसा करेगा जैसा कि ऊपर देखा गया है। सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अरिहंत जैन

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

दिव्या रानी